न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), भदोही–ज्ञानपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–538 सन् 2026

UPSN010001679–2026

1. अमित जायसवाल, उम्र लगभग 43 वर्ष, पुत्र स्व० राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल

2. ताड़कनाथ, उम्र लगभग 68 वर्ष, पुत्र स्व० सालिकराम

निवासीगण बार्ड नम्बर 3 पटेल नगर नई बाजार, भदोही, थाना भदोही, जिला भदोही।

..... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन ।

मु०अ०सं०–184 सन् 2024
धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2)
बी.एन.एस. व धारा–3 (1) द, ध एस.सी./
एस.टी.एक्ट, थाना–भदोही, जिला भदोही।

01.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमित जायसवाल व ताड़कनाथ के द्वारा प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 184 सन् 2024, धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. व धारा–3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–भदोही, जिला–भदोही के मामले में सुना गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के आदेश दिनांकित 19.05.2026 से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र पर उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण, वादिनी मुकदमा मुन्नीदेवी को कथित दिनांक व समय को राशन कम देने के संबंध में न वादिनी मुकदमा को एक राय होकर मारे पीटे, न गाली दिये न धमकी दिये और न ही जाति सूचक शब्दों की गालियां देकर अपमानित किये और न ही वादिनी मुकदमा के लड़के को मारपीट कर चोटे पहुंचायी। वादिनी मुकदमा ने नाजायज दबाव बनाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने की नियत से झूठी व फर्जी कहानी बनाकर झूठा मेडिकल कराकर उपरोक्त मुकदमा कायम की है। वादिनी मुकदमा का लड़का किशन सोनकर व वादिनी मुकदमा के परिवार के रवि, मनोहर, राकेश, राजा, शनी व अन्य लोग एक राय होकर प्रार्थीगण के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर चढ़ आये और तोड़ फोड़ करने लगे और अंगूठा लगाने वाली मशीन को जबरदस्ती पटक कर फोड़ दिये, विरोध करने पर उपरोक्त लोग प्रार्थी अमित जायसवाल को लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे, जब प्रार्थी का भाई अतुल कुमार जायावाल बीच बचाव करने लगा तो उसे भी मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचायी। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी का भाई अतुल कुमार जायसवाल की तरफ से थाना भदोही में मुकदमा अपराध संख्या 181/2024 धारा 191(2),

115(2), 351(2), 324(3), बी.एन.एस. के तहत दिनांक 11.09.2024 को दर्ज कराया है, इसी मुकदमा से बचने के लिए बिना तारीख व घटना के प्रार्थनापत्र देकर उपरोक्त मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसकी कोई असलियत नही है। आगे यह तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है, कोई अपराध कारित नही किये है अतः उन्हे जमानत पर रिहा किया जाय।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थीनी मुन्नी देवी, पत्नी हेमलाल सोनकर, नई बाजार गुलौरा वार्ड नं0 1 की मूल निवासिनी है। प्रार्थीनी अपने पुत्र किसन सोनकर के साथ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने के लिए गयी थी, जहां पर कोटेदार अमित जायवाल, निवासी वार्ड नं0–3 पटेलनगर, नई बाजार भदोही द्वारा प्रार्थीनी के राशन कार्ड के अनुरूप राशन न देकर 5 किलो राशन कम दे रहे थे, जब प्रार्थीनी द्वारा कोटेदार से 5 किलो कम राशन देने के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोटेदार ने कहा कि राशन लेने आयी है कि हिसाब करने, तेरी बटी की मईया चोदो राशन लेने आयी है, ले के जा नही तो मां, बेटे दोनों को बांधकर मरूंगा। जिस प्रकार पिछली बार जितेन्द्र सोनकर को जान से मार दिया, कुछ नहीं कर पाये और तुम्हारे विरादरी के लोगो का गाड़ी भी फूक दिया था तो भी कुछ नहीं कर पाये थे, उसी तरफ फिर मारेगे कुछ नहीं कर पाओगी, जिसके बाद उसके बेटे द्वारा गाली गलौज का विरोध करने पर कोटेदार ने अपने परिवार के अन्य लोगो, जिसमें प्रवीन उर्फ मन्टू जायसवाल, पुत्र मोहन जायसवाल, व ताड़कनाथ जायसवाल, पुत्र सालिकराम, व टिन्कू जायसवाल, पुत्र रजिन्दर, विमल, पुत्र राघोराम, निवासीगण वार्ड नं0 3 पटेल नगर नई बाजार भदोही कुल चार लोग को बुलाकर उसे व उसके बेटे को एक कमरे बन्द करके मारने लगे और भद्दी भद्दी गाली भी देने लगे। जब प्रार्थीनी के गाँव के दो महिला ने विरोध किया, तो उन्हे भी गाली फक्कड़ देने लगे व ढकेलते हुए बाहर निकाल दिये, जिसमें प्रार्थीनी व उसके बेटे किसन सोनकर को बहुत ही गहरी चोट आयी है, व उसके बाद धमकी भी दे रहे है कि यदि कही भी किसी थाने में केस दर्ज कराया तो तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी।

4. इस प्रकरण में वादिनी मुकदमा न्यायालय में उपस्थित है, किन्तु उसकी ओर से आपत्ति नही दी गयी, बल्कि अभियोजन की ओर से मौखिक बहस की गयी है।

5. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण तथाकथित अपराध की घटना में संलिप्त है। अभियुक्तो के द्वारा उक्त तथाकथित घटना को कारित किया गया है। अभियुक्तगण जमानत पर छूटने पर जमानत का दुरूपयोग करेगे। अतः अभियुक्तगण के जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण दिनांक 19.05.2026 से उक्त मामले में अंतरिम जमानत पर है, प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप–पत्र न्यायालय में आ चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2024 को संज्ञान लिया जा चुका है। थाने की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण पर लगाये गये उक्त आरोपित धारायें सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। मामला क्रास वर्जन का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त किये, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमित जायसवाल व ताड़कनाथ का जमानत प्रार्थना–पत्र मुकदमा अपराध संख्या–184 सन् 2024, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. व धारा–3(1)द,ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–भदोही, जिला–भदोही के अभियोग में सशर्त स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु० 25,000/–रूपये की दो–दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेंगे ।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे ।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे और विचारण में सहयोग करेंगे ।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक–01.06.2026

(डॉ० अवनीश कुमार–II)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
भदोही–ज्ञानपुर।
आई०डी०–यू०पी० 1523

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.06.01 11:56:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court